<u>न्यायालयः- सिविल जज (जू.डि.), मऊ, चित्रकूट</u>।

मूलवाद संख्या- 77 / 2017

रामलोचन आदि बनाम संतकुमार आदि

<u>18.03.2019</u>-

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को वाद बिन्दु संख्या 3 पर सुना गया।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-3</u>

वाद बिन्दु संख्या 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त हैं?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है जिसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रतीत होता हो कि वादीगण द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में विवादित भूमि को कृषि भूमि बताया गया है तथा यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। वाद का मूल्यांकन वार्षिक लगान के आधार पर किया गया है एवं न्यायशुल्क वार्षिक लगान के 30 गुना के 1/5 भाग पर अदा किया गया है। वादीगण द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क पर्याप्त प्रतीत होता है। अतः वाद बिन्दु संख्या 3 वादीगण के पक्ष में विरूध्द प्रतिवादीगण निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण साक्ष्य वादी दिनांक- 15.04.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू.डि.)
मऊ- चित्रकूट।